



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042022-235153
CG-DL-E-16042022-235153

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1724]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944

No. 1724]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1811(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, गुजरात राज्य में मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड की दहेज - नागोथाने ईथेन पाइपलाइन के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री भास्कर एस. दवे, जी.ए.एस. (सेवानिवृत्त) को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. गुजरात राज्य में मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड के लिए दिनांक 21.01.2021 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 15.01.2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 307(अ) द्वारा पूर्व में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, श्री एच. आर. कालैय्या, (जी.ए.एस.) को निरस्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/34/2014-जीपी - II (ई-42150)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1811(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Bhaskar S. Dave, G.A.S. (Retired) to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Dahej – Nagothane Ethane Pipeline of M/s. Reliance Ethane Pipeline Limited in the State of Gujarat.

2. Earlier notified Competent Authority for M/s. Reliance Ethane Pipeline Limited in the State of Gujarat, Shri H.R. Kelaiya, G.A.S. vide S.O. 307(E) dated 15.01.2021 published in the Extraordinary Gazette of India dated 21.01.2021 stands de-notified.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/34/2014-GP-II (E-42150)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.